न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

1. श्री कपूराराम पुत्र लालाराम जी, जाति- कुम्हार, निवासी- नवाखेडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री गणेशाराम पुत्र लालाराम जी, जाति- कुम्हार, निवासी- नवाखेडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
3. श्री धनाराम पुत्र लालाराम जी, जाति- कुम्हार, निवासी- नवाखेडा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, अन्दौर जरिये सरपंच, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. ग्राम पंचायत, मोरली जरिये सरपंच, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
3. श्री भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा, तह.शिवगंज, जिला-सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 94/2017

''निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री मोहनसिंह देवडा, प्राथीगण की ओर से

-ः निर्णय :- **दिनांक 22 मई, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा अप्रार्थी भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा के पक्ष में क्षेत्रफल 75x66.5=4987-5 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 14.12.1959 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम नवाखेडा, ग्राम पंचायत, मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला सिरोही में प्रार्थीगण के तीन अलग अलग भूखण्ड आये हुये है। प्रार्थी कपूराराम के भूखण्ड के उत्तर दिशा में थानाराम पुत्र गोमाजी, दक्षिण दिशा में गणेशाराम पुत्र लालाराम, पूर्व दिशा में गली एवं भूखण्ड थानाराम पुत्र वगताजी, पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। प्रार्थी गणेशराम के भूखण्ड के उत्तर दिशा में कपूराराम पुत्र लालाराम, दक्षिण दिशा में धनाराम पुत्र लालाराम, पूर्व दिशा में गली एवं भूखण्ड थानाराम पुत्र वगताजी एवं पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। प्रार्थी धनाराम के भूखण्ड के उत्तर दिशा में गणेशाराम पुत्र लालाराम, दक्षिण दिशा में उकाराम पुत्र नवाराम, पूर्व दिशा में गली एवं भूखण्ड थानाराम पुत्र वगताजी व पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। उक्त तीनों अलग अलग रहवासी भूखण्ड प्रार्थीगण के पुराने कब्जे भोगवटे के है जिन पर प्रार्थीगण का पुराना कब्जा होकर प्रार्थीगण के अलग अलग रहवासी मकान बने हुए है एवं अलग अलग विद्युत कनेक्शन भी लिये हुए है तथा प्रार्थीगण बाप दादों के समय से निवासरत है। उक्त तीनों रहवासी भूखण्ड प्रार्थीगण के पुराने कब्जे भोगवटे के है जिस पर

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

अप्रार्थी संख्या-3 या उसके परिवाजनों व वंश वारिसान का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही अप्रार्थी संख्या-3 भूरा पुत्र खेताजी, जाति-कुबार, निवासी- नवाखेडा नाम का व्यक्ति कभी निवासरत रहा है तथा न ही इस नाम का व्यक्ति ग्राम नवाखेडा में निवासरत है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, अन्दौर के तत्कालीन सरपंच भवानीसिंह के हस्ताक्षर से अप्रार्थी संख्या-3 के नाम से पट्टा जारी होना दर्शाया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा जारी किया हुआ नही है एवं न ही उक्त पट्टे से संबंधित कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत, अन्दौर या ग्राम पंचायत मोरली में है। पट्टे में दर्ज नाप व चतुर्दशी कहीं पर भी मौके से मेल नही खाती है एवं जिस व्यक्ति के नाम से पट्टा जारी किया गया है उस नाम का व्यक्ति का न तो कभी कब्जा रहा है एवं न ही उस नाम का व्यक्ति कभी मौजूद रहा है। प्रश्नगत पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा कोई प्रस्ताव नही लिया गया है। प्रश्नगत पट्टे पर पर पूर्व सरपंच भवानसिंह के हस्ताक्षर व साक्षी के अंगूष्ठ निशान है, लेकिन उनके नाम, पिता का नाम व जाति लिखी हुई नही है। उक्त पट्टे पर सचिव, ग्राम पंचायत, अन्दौर के हस्ताक्षर भी नही है, इसलिये प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पट्टा संख्या 40 दिनांक 14.12.1959 को निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, अन्दौर से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान दिनांक 20.6.2017 को अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, अन्दौर) ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 (सरपंच, ग्राम पंचायत, मोरली) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-3 (भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा) को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस इस रिपोर्ट के साथ अदम तामिल प्राप्त हुआ कि भूरा पुत्र खेताजी कुबार नाम का व्यक्ति ग्राम नवाखेडा, तहसील- शिवगंज में निवास नही करता है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या-3 को पुनः नोटिस जारी किये जाने पर भी अप्रार्थी संख्या-3 को जारी नोटिस उक्त रिपोर्ट के साथ पुनः अदम तामिल प्राप्त हुये। जिस पर इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या-3 (श्री भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा) को पुनः नोटिस जारी कर नोटिस को प्रार्थीगण के खर्चे पर दैनिक समाचार पत्र ''राजस्थान पत्रिका'' के सिरोही संस्करण में दिनांक 15.2.2018 को छाया करवाया गया। इस प्रकार, समाचार पत्र के माध्यम से अप्रार्थी संख्या-3 (भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- अन्दौर) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद अप्रार्थी भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- अन्दौर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 12.3.2018 को उपस्थित नही हुआ एवं न ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। जिस पर अप्रार्थी भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत, अन्दौर के पत्र दिनांक 20.6.2017 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या-3 के नाम पट्टा ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा ही जारी किया हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या-3 के नाम से जारी

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पट्टा संख्या 40 दिनांक 14.12.1959 ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध है। उक्त पट्टा की बैठक कार्यवाही रजिस्टर मिसल ग्राम पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नही है। पट्टा संख्या 40 दिनांक 14.12.1959 की मूल पत्रावली ग्राम पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नही है। उक्त पट्टा संख्या 40 दिनांक 14.12.1959 रेकर्ड अनुसार सही है।

(3) प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम नवाखेडा, तहसील- शिवगंज में प्रार्थीगण के पुश्तैनी व पुराने कब्जे भोगवटे के तीन अलग अलग आवासीय भूखण्ड आये हुये है जिन पर प्रार्थीगण के अलग अलग आवासीय मकान कई वर्षो पूर्व के बने हुये एवं इन आवासीय मकानों में अलग अलग विद्युत कनेक्शन भी काफी वर्षो पूर्व से लिये हुये है। प्रार्थीगण उक्त आवासीय मकानों में अपने बाप दादाओं के समय से निवासरत है। प्रार्थीगण के पुराने व पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के उक्त भूखण्डों पर अप्रार्थी भूरा पुत्र खेताजी कुबार, निवासी- नवाखेडा या उसके परिवाजन व वंश वारिसान का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही भूरा पुत्र खेताजी कुबार, निवासी- नवाखेडा नाम का व्यक्ति ग्राम नवाखेडा, तहसील- शिवगंज में कभी भी निवासरत रहा है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, अन्दौर के तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी व पुराने कब्जे भोगवटे के उक्त आवासीय मकानों की भूमि का अप्रार्थी भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा के नाम से पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध है। प्रश्नगत पट्टे में वर्णित चतुर्दशी व नाप मौके की स्थिति अनुसार मेल नही खाती है। प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टे की जानकारी सर्वप्रथम तब हुई, जब प्रार्थीगण ने अपने पुश्तैनी व पुराने कब्जे भोगवटे के उक्त मकानों का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत से सम्पर्क किया, तब पंचायत द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त मकानों से संबंधित भूमि का भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा के नाम से पट्टा बना हुआ होने से प्रार्थीगण के नाम से पट्टा नही बन सकता है। प्रार्थीगण के पुराने व पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की भूमि पर बने हुए पुश्तैनी मकानों का पट्टा नही बनने के कारण प्रार्थीगण अपने मालिकाना हक से वंचित हो रह है, इसलिये प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 40 दिनांक 14.12.1959 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा अप्रार्थी श्री भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा के पक्ष में क्षेत्रफल 75X66.5=4987-5 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 40 दिनांक 14.12.1959 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि ''ग्राम नवाखेडा, तहसील- शिवगंज में प्रार्थीगण के पुश्तैनी व पुराने कब्जे भोगवटे के तीन अलग अलग आवासीय भूखण्ड आये हुये है जिन पर प्रार्थीगण के अलग अलग आवासीय मकान कई वर्षो पूर्व के बने हुये एवं इन आवासीय मकानों में अलग अलग विद्युत कनेक्शन भी काफी वर्षो पूर्व से लिये हुये है। प्रार्थीगण उक्त आवासीय मकानों में अपने बाप दादाओं के समय से निवासरत है।

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थीगण के पुराने व पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के उक्त भूखण्ड़ों पर अप्रार्थी भूरा पुत्र खेताजी कुबार, निवासी- नवाखेडा या उसके परिवाजन व वंश वारिसान का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही भूरा पुत्र खेताजी कुबार, निवासी- नवाखेडा नाम का व्यक्ति ग्राम नवाखेडा, तहसील- शिवगंज में कभी भी निवासरत रहा है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, अन्दौर के तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी व पुराने कब्जे भोगवटे के उक्त आवासीय मकानों की भूमि का अप्रार्थी भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा के नाम से पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध है।''

प्रार्थीगण ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में मौके के फोटोग्राफस्, घरेलू विद्युत बिलों व राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है, जिनके अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौके पर आवासीय मकानात बने हुये है व इन आवासीय मकानो में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। राशनकार्ड व मतदाता परिचय पत्र में प्रार्थीगण का पता कुम्हारों की गली, ग्राम नवाखेडा अंकित है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मौके पर प्रार्थीगण काबिज है एवं प्रार्थीगण के पुराने आवासीय मकानात बने हुये है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त के विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, अन्दौर द्वारा श्री भूरा पुत्र खेताजी, जाति- कुबार, निवासी- नवाखेडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 14.12.1959 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही